

1

No.25013/31/83-Estt. (A)
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantraleya
Department, of Personnel and Administrative Reforms
(Karmik Aur Prashasnik Sudhar Vibhag)

New Delhi, the 30 March, 1984

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Clause (K) of Rule 56 of the Fundamental Rules - Clarification regarding.

The undersigned is directed to invite the attention of the Ministry of Finance etc. to proviso (b) to Clause (K) (1) of Rule 56 of the Fundamental Rules embodied in the D.P.&.A.R. notification No. 25013/25/83-Estt. (A) dated the 25th February, 1984 wherein it is provided that it shall be open to the appropriate authority to withhold permission to a Government servant under suspension who seeks to retire thereunder. A question has been raised whether the right conferred on the appropriate authority under this proviso can be exercised by that authority in respect of a Government servants who is placed under suspension after he has given the notice of retirement. The question has been considered carefully and it is clarified that the right conferred on the appropriate authority under the above proviso can be exercised by that authority even if a Government servant is placed under suspension after giving the notice for retirement but such right shall be exercised by the said authority before the expiry of the period of notice given by a Government servant.

S. Trikha
(MISS S. TRIKHA)
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

To

All Ministries/Departments of the
Government of India.

संख्या 25013/31/83-स्था0क

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 20-3-1984

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- मूल नियमों के नियम 56 के अण्ड के बारे में स्पष्टीकरण ।

मुझे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की दिनांक 25 फरवरी 1984 की अधिसूचना संख्या 25013/25/83-स्था0क में सम्मिलित मूल नियमों के नियम 56 के अण्ड के परन्तुक की ओर वित्त मंत्रालय आदि का ध्यान दिलाने का निदेश हुआ है जिसमें यह व्यवस्था है कि यह समुचित प्राधिकारी पर निर्भर करेगा कि वह निलम्बनाधीन किसी सरकारी सेवक को जो निलम्बन के दौरान सेवानिवृत्त होने का इच्छुक हो ऐसी अनुज्ञा रोक ले । यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या इस परन्तुक के अधीन समुचित प्राधिकारी को प्रदत्त अधिकार को उस सरकारी कर्मचारी के संबंध में प्रयोग में लाया जा सकता है जिसने सेवानिवृत्ति का नोटिस दे दिया हो और उसे उसके बाद निलम्बनाधीन रखा गया हो । इस प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त परन्तुक के अधीन समुचित प्राधिकारी को प्रदत्त अधिकार उस प्राधिकारी द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है भले ही सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा निवृत्ति का नोटिस दिये जाने के बाद उसे निलम्बनाधीन रखा गया हो किंतु उक्त प्राधिकारी द्वारा ऐसे अधिकार का प्रयोग सरकारी कर्मचारी द्वारा दिये गये नोटिस की अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही किया जाएगा ।

21/3/84
कृ० स्० त्रिखा

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।